

21/7/17

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)  
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI  
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT  
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE: NEW DELHI-110 002

No.F3(18)/Fin(Rev-1)/2017-18/DS-VI/ 448

Dated: 19/7/2017

NOTIFICATION No.15/2017

No.F3(18)/Fin(Rev-1)/2017-18/- In exercise of the powers conferred by section 164 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (Delhi Act 03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules further to amend the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Delhi Goods and Services Tax (Third Amendment) Rules, 2017.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 1<sup>st</sup> day of July, 2017.

2. In the Delhi Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the principal Rules), in rule 44,-

- (a) in sub-rule (2), for the words "integrated tax and central tax", the words "central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax" shall be substituted; and
- (b) in sub-rule (6), for the words and letters "IGST and CGST", the words "central tax, State tax, Union territory tax and integrated tax" shall be substituted.

1492/INTH/GST  
25/7/17

Add. 4 (54)  
24/7

3. In the principal Rules, in rule 96,

- (a) in sub-rule(1), in clause (b), and
- (b) in sub-rule (3),

after the words, figures and letters "FORM GSTR 3", the words and figures "or FORM GSTR-3B, as the case may be;" shall be inserted.

SC(GST)

4. In the principal Rules, after rule 96, the following rule shall be inserted, namely:-

" 96A. Refund of integrated tax paid on export of goods or services under bond or Letter of Undertaking.- (1) Any registered person availing the option to supply goods or services for export without payment of integrated tax shall furnish, prior to export, a bond or a Letter of Undertaking in FORM GST RFD-11 to the jurisdictional Commissioner, binding himself to pay the tax due along with the interest specified under sub-section (1) of section 50 within a period of—

- (a) fifteen days after the expiry of three months from the date of issue of the invoice for export, if the goods are not exported out of India; or
- (b) fifteen days after the expiry of one year, or such further period as may be allowed by the Commissioner, from the date of issue of the invoice for export, if the payment of such services is not received by the exporter in convertible foreign exchange.

1887/SCST  
24/7/17

1052/SC(GST)  
24/7/17

Add. Govt (55)

24/7/17  
SC(GST)

25/7/17

ANATOCAR (S) Ch. Lachhman

*Explanation.-* For the purposes of the rules under the provisions of this Chapter, the “applicable tax” shall include central tax and State tax or central tax and the Union territory tax, as the case may be and the cess, if any, payable under the Goods and Services Tax (Compensation to States) Act, 2017 (15 of 2017).

(2) In case the person to whom the goods were released provisionally fails to produce the goods at the appointed date and place indicated by the proper officer, the security shall be encashed and adjusted against the tax, interest and penalty and fine, if any, payable in respect of such goods.

**141. Procedure in respect of seized goods.-** (1) Where the goods or things seized are of perishable or hazardous nature, and if the taxable person pays an amount equivalent to the market price of such goods or things or the amount of tax, interest and penalty that is or may become payable by the taxable person, whichever is lower, such goods or, as the case may be, things shall be released forthwith, by an order in **FORM GST INS-05**, on proof of payment.

(2) Where the taxable person fails to pay the amount referred to in sub-rule (1) in respect of the said goods or things, the Commissioner may dispose of such goods or things and the amount realized thereby shall be adjusted against the tax, interest, penalty, or any other amount payable in respect of such goods or things.

#### CHAPTER - XVIII DEMANDS AND RECOVERY

**142. Notice and order for demand of amounts payable under the Act.-** (1) The proper officer shall serve, along with the

(a) notice under sub-section (1) of section 73 or sub-section (1) of section 74 or sub-section (2) of section 76, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-01**,

(b) statement under sub-section (3) of section 73 or sub-section (3) of section 74, a summary thereof electronically in **FORM GST DRC-02**,

specifying therein the details of the amount payable.

(2) Where, before the service of notice or statement, the person chargeable with tax makes payment of the tax and interest in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty in accordance with the provisions of sub-section (5) of section 74, he shall inform the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an acknowledgement, accepting the payment made by the said person in **FORM GST DRC-04**.

(3) Where the person chargeable with tax makes payment of tax and interest under sub-section (8) of section 73 or, as the case may be, tax, interest and penalty under sub-section (8) of section 74 within thirty days of the service of a notice under sub-rule (1), he shall intimate the proper officer of such payment in **FORM GST DRC-03** and the proper officer shall issue an order in **FORM GST DRC-05** concluding the proceedings in respect of the said notice.

(4) The representation referred to in sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be in **FORM GST DRC-06**.

(5) A summary of the order issued under sub-section (9) of section 73 or sub-section (9) of section 74 or sub-section (3) of section 76 shall be uploaded electronically in **FORM GST DRC-07**, specifying therein the amount of tax, interest and penalty payable by the person chargeable with tax.

(6) The order referred to in sub-rule (5) shall be treated as the notice for recovery.

(7) Any rectification of the order, in accordance with the provisions of section 161, shall be made by the proper officer in **FORM GST DRC-08**.

**143. Recovery by deduction from any money owed.-** Where any amount payable by a person (hereafter referred to in this rule as “the defaulter”) to the Government under any of the provisions of the Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer may require, in **FORM GST DRC-09**, a specified officer to

(2) The proper officer shall send a copy of the order of attachment or distraint to the concerned Revenue Authority or Transport Authority or any such Authority to place encumbrance on the said movable or immovable property, which shall be removed only on the written instructions from the proper officer to that effect.

(3) Where the property subject to the attachment or distraint under sub-rule (1) is-

(a) an immovable property, the order of attachment or distraint shall be affixed on the said property and shall remain affixed till the confirmation of sale;

(b) a movable property, the proper officer shall seize the said property in accordance with the provisions of chapter XIV of the Act and the custody of the said property shall either be taken by the proper officer himself or an officer authorised by him.

(4) The property attached or distrained shall be sold through auction, including e-auction, for which a notice shall be issued in **FORM GST DRC- 17** clearly indicating the property to be sold and the purpose of sale.

(5) Notwithstanding anything contained in the provision of this Chapter, where the property to be sold is a negotiable instrument or a share in a corporation, the proper officer may, instead of selling it by public auction, sell such instrument or a share through a broker and the said broker shall deposit to the Government so much of the proceeds of such sale, reduced by his commission, as may be required for the discharge of the amount under recovery and pay the amount remaining, if any, to the owner of such instrument or a share.

(6) The proper officer may specify the amount of pre-bid deposit to be furnished in the manner specified by such officer, to make the bidders eligible to participate in the auction, which may be returned to the unsuccessful bidders or, forfeited in case the successful bidder fails to make the payment of the full amount, as the case may be.

(7) The last day for the submission of the bid or the date of the auction shall not be earlier than fifteen days from the date of issue of the notice referred to in sub-rule (4):

Provided that where the goods are of perishable or hazardous nature or where the expenses of keeping them in custody are likely to exceed their value, the proper officer may sell them forthwith.

(8) Where any claim is preferred or any objection is raised with regard to the attachment or distraint of any property on the ground that such property is not liable to such attachment or distraint, the proper officer shall investigate the claim or objection and may postpone the sale for such time as he may deem fit.

(9) The person making the claim or objection must adduce evidence to show that on the date of the order issued under sub-rule (1) he had some interest in, or was in possession of, the property in question under attachment or distraint.

(10) Where, upon investigation, the proper officer is satisfied that, for the reason stated in the claim or objection, such property was not, on the said date, in the possession of the defaulter or of any other person on his behalf or that, being in the possession of the defaulter on the said date, it was in his possession, not on his own account or as his own property, but on account of or in trust for any other person, or partly on his own account and partly on account of some other person, the proper officer shall make an order releasing the property, wholly or to such extent as he thinks fit, from attachment or distraint.

(11) Where the proper officer is satisfied that the property was, on the said date, in the possession of the defaulter as his own property and not on account of any other person, or was in the possession of some other person in trust for him, or in the occupancy of a tenant or other person paying rent to him, the proper officer shall reject the claim and proceed with the process of sale through auction.

(12) The proper officer shall issue a notice to the successful bidder in **FORM GST DRC-11** requiring him to make the payment within a period of fifteen days from the date of such notice and after the said payment is made, he shall issue a certificate in **FORM GST DRC-12** specifying the details of the property, date of transfer, the details of the bidder and the amount paid and upon issuance of such certificate, the rights, title and interest in the property shall be deemed to be transferred to such bidder:

**152. Attachment of property in custody of courts or Public Officer.-** Where the property to be attached is in the custody of any court or Public Officer, the proper officer shall send the order of attachment to such court or officer, requesting that such property, and any interest or dividend becoming payable thereon, may be held till the recovery of the amount payable.

**153. Attachment of interest in partnership.-** (1) Where the property to be attached consists of an interest of the defaulter, being a partner, in the partnership property, the proper officer may make an order charging the share of such partner in the partnership property and profits with payment of the amount due under the certificate, and may, by the same or subsequent order, appoint a receiver of the share of such partner in the profits, whether already declared or accruing, and of any other money which may become due to him in respect of the partnership, and direct accounts and enquiries and make an order for the sale of such interest or such other order as the circumstances of the case may require.

(2) The other partners shall be at liberty at any time to redeem the interest charged or, in the case of a sale being directed, to purchase the same.

**154. Disposal of proceeds of sale of goods and movable or immovable property.-** The amounts so realised from the sale of goods, movable or immovable property, for the recovery of dues from a defaulter shall,-

- (a) first, be appropriated against the administrative cost of the recovery process;
- (b) next, be appropriated against the amount to be recovered;
- (c) next, be appropriated against any other amount due from the defaulter under the Act or the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 or the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 or the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and the rules made thereunder; and
- (d) any balance, be paid to the defaulter.

**155. Recovery through land revenue authority.-** Where an amount is to be recovered in accordance with the provisions of clause (e) of sub-section (1) of section 79, the proper officer shall send a certificate to the Collector or Deputy Commissioner of the district or any other officer authorised in this behalf in **FORM GST DRC- 18** to recover from the person concerned, the amount specified in the certificate as if it were an arrear of land revenue.

**156. Recovery through court.-** Where an amount is to be recovered as if it were a fine imposed under the Code of Criminal Procedure, 1973, the proper officer shall make an application before the appropriate Magistrate in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 in **FORM GST DRC- 19** to recover from the person concerned, the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.

**157. Recovery from surety.-** Where any person has become surety for the amount due by the defaulter, he may be proceeded against under this Chapter as if he were the defaulter.

**158. Payment of tax and other amounts in instalments.-** (1) On an application filed electronically by a taxable person, in **FORM GST DRC- 20**, seeking extension of time for the payment of taxes or any amount due under the Act or for allowing payment of such taxes or amount in instalments in accordance with the provisions of section 80, the Commissioner shall call for a report from the jurisdictional officer about the financial ability of the taxable person to pay the said amount.

(2) Upon consideration of the request of the taxable person and the report of the jurisdictional officer, the Commissioner may issue an order in **FORM GST DRC- 21** allowing the taxable person further time to make payment and/or to pay the amount in such monthly instalments, not exceeding twenty-four, as he may deem fit.

(3) The facility referred to in sub-rule (2) shall not be allowed where-

(4) The application shall not be decided under sub-rule (3) without affording an opportunity of being heard to the applicant and recording the grounds of such rejection.

(5) The application shall not be allowed unless the tax, interest and penalty liable to be paid have been paid in the case for which the application has been made.

(6) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of the receipt of the order under sub-rule (3), pay the compounding amount as ordered by the Commissioner and shall furnish the proof of such payment to him.

(7) In case the applicant fails to pay the compounding amount within the time specified in sub-rule (6), the order made under sub-rule (3) shall be vitiated and be void.

(8) Immunity granted to a person under sub-rule (3) may, at any time, be withdrawn by the Commissioner, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any material particulars or had given false evidence. Thereupon such person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and the provisions the Act shall apply as if no such immunity had been granted.”;

7. In the principal Rules, for the forms **FORM GST-RFD-01, FORM GST-RFD-02, FORM GST-RFD-04, FORM GST-RFD-05, FORM GST-RFD-06, FORM GST-RFD-07** and **FORM GST-RFD-10**, the following FORMS shall respectively be substituted, namely:-

“

**FORM-GST-RFD-01**

*[See rule 89(1)]*

**Application for Refund**

Select: Registered / Casual/ Unregistered/Non-resident taxable person

1. GSTIN/Temporary ID:
2. Legal Name:
3. Trade Name, if any:
4. Address:
5. Tax Period:                      From <DD/MM/YY>                      To <DD/MM/YY>
6. Amount of Refund Claimed:

Act	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT Tax						
Integrated Tax						
Cess						
Total						

**DECLARATION**

I hereby declare that the goods exported are not subject to any export duty. I also declare that I have not availed any drawback on goods or services or both and that I have not claimed refund of the integrated tax paid on supplies in respect of which refund is claimed.

Signature

Name –

Designation / Status

**DECLARATION**

I hereby declare that the refund of ITC claimed in the application does not include ITC availed on goods or services used for making nil rated or fully exempt supplies.

Signature

Name –

Designation / Status

**DECLARATION**

I hereby declare that the Special Economic Zone unit /the Special Economic Zone developer has not availed of the input tax credit of the tax paid by the applicant, covered under this refund claim.

Signature

Name –

Designation / Status

**Statement -1  
(Annexure 1)**

Refund Type: ITC accumulated due to inverted tax structure [clause (ii) of proviso to section 54(3)]

**Part A: Outward Supplies**

**(GSTR- 1: Table 4 and 5)**

GSTIN/ UIN	Invoice details		Rate	Taxable value	Amount			Place of Supply (Name of State)		
	No.	Date			Value	Integrated Tax	Central Tax		State / UT Tax	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**Part B: Inward Supplies**

**[GSTR 2: Table 3 (Matched Invoices)]**

GSTIN of supplier	Invoice details		Rate	Taxable value	Amount of Tax			Whether input or input service/ Capital goods (incl plant and machinery)/ Ineligible for ITC	Amount of ITC available						
	No	Date			Value	Integrated tax	Central Tax		State/ UT Tax	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

*Note - The data shall be auto-populated from GSTR-1 and GSTR-2.*

Statement- 3

Refund Type: Export without payment of Tax-Accumulated ITC  
(GSTR- 1: Table 6A)

GSTIN of recipient	Invoice details								Shipping bill/ Bill of export			Integrated Tax		EGM Details		BRC/ FIRC	
	No.	Date	Value	Goods/ Services (G/S)	HSN/ SAC	UQC	QTY	No.	Date	Port Code	Rate	Taxable value	Amt.	Ref No.	Date	No.	Date
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6A. Exports																	

Note - 1. Shipping Bill and EGM are mandatory; - in case of goods.

2. BRC/ FIRC details are mandatory- in case of Services



Statement 5

Recipient of Deemed exports etc.

(GSTR-2: Table 3 and Table 6)

GSTIN of supplier	Invoice details		Rate	Taxable value	Amount of Tax				Whether input or input service/ Capital goods (incl. plant and machinery)/ Ineligible for ITC	Amount of ITC available				Amended Value (ITC Integrated Tax)	Debit Note ITC Integrated Tax / Amended (If any)	Credit Note ITC Integrated Tax / Amended (If any)	Net ITC Integrated Tax = (17/7) + 18 - 19			
	No	Date			Value	Integrated tax	Central Tax	State/ UT Tax		CESS	Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax					CESS		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Statement 7:

Refund Type: Excess payment of tax, if any in case of Last Return filed.

Refund on account excess payment of tax

(In case of taxpayer who filed last return GSTR-3 - table I2)

Sr. No.	Tax period	Reference no. of return	Date of filing return	Tax Payable			
				Integrated Tax	Central Tax	State/ UT Tax	Cess
1	2	3	4	5	6	7	8

**FORM-GST-RFD-02**  
*[See rules 90(1), 90(2) and 95(2)]*

**Acknowledgment**

Your application for refund is hereby acknowledged against <Application Reference Number>

Acknowledgement Number :

Date of Acknowledgement :

GSTIN/ UIN/ Temporary ID, if applicable :

Applicant's Name :

Form No. :

Form Description :

Jurisdiction (*tick appropriate*) :

Centre                      State/                      Union Territory:

Filed by :

Refund Application Details	
Tax Period	
Date and Time of Filing	
Reason for Refund	

Amount of Refund Claimed:

	Tax	Interest	Penalty	Fees	Others	Total
Central Tax						
State /UT tax						
Integrated Tax						
Cess						
<b>Total</b>						

*Note 1: The status of the application can be viewed by entering ARN through <Refund> Track Application Status" on the GST System Portal.*

*Note 2: It is a system generated acknowledgement and does not require any signature.*

**FORM-GST-RFD-05**

[See rule 91(3), 92(4), 92(5) & 94]

**Payment Advice**

Payment Advice No: -

Date: <DD/MM/YYYY>

To <Centre> PAO/ Treasury/ RBI/ Bank

Refund Sanction Order No. ....

Order Date.....<DD/MM/YYYY>.....

GSTIN/ UIN/ Temporary ID <>

Name: <>

Refund Amount (as per Order):

Description	Integrated Tax						Central Tax						State/ UT tax						Cess					
	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total
Net Refund amount sanctioned																								
Interest on delayed Refund																								
Total																								

Note – 'T' stands Tax; 'I' stands for Interest; 'P' stands for Penalty; 'F' stands for Fee and 'O' stands for Others

Details of the Bank	
i.	Bank Account no as per application
ii.	Name of the Bank
iii.	Name and Address of the Bank /branch
iv.	IFSC
v.	MICR

Date:

Place:

Signature (DSC):

Name:

Designation:

Office Address:

To

\_\_\_\_\_ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)

\_\_\_\_\_ (Name)

\_\_\_\_\_ (Address)

**FORM-GST-RFD-06**

[See rule 92(1), 92(3), 92(4), 92(5) & 96(7)]

Date: <DD/MM/YYYY>

Order No.:

**To**  
 \_\_\_\_\_ (GSTIN/ UIN/ Temporary ID)  
 \_\_\_\_\_ (Name)  
 \_\_\_\_\_ (Address)

Show cause notice No. (If applicable)

Acknowledgement No. ....

Dated .....<DD/MM/YYYY>

**Refund Sanction/Rejection Order**

Sir/Madam,

This has reference to your above mentioned application for refund filed under section 54 of the Act\*/ interest on refund\*.

<< reasons, if any, for granting or rejecting refund >>

Upon examination of your application, the amount of refund sanctioned to you, after adjustment of dues (where applicable) is as follows:

*\*Strike out whichever is not applicable*

Description	Integrated Tax				Central Tax				State/ UT tax				Cess						
	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	T	I	P	F	O	Total	
1. Amount of refund/interest*																			

Date:  
Place:

Signature (DSC):  
Name:  
Designation:  
Office Address:

This has reference to your refund application referred to above and information/ documents furnished in the matter. The amount of refund sanctioned to you has been withheld due to the following reasons:

Refund Order No.:					
Date of issuance of Order:					
Sr. No.	Refund Calculation	Integrated Tax	Central Tax	State/UT Tax	Cess
i.	Amount of Refund Sanctioned				
ii.	Amount of Refund Withheld				
iii.	Amount of Refund Allowed				

Reasons for withholding of the refund:

<<Text>>
----------

I hereby, order that the amount of claimed / admissible refund as shown above is withheld for the above mention reasons. This order is issued as per provisions under sub-section (...) of Section (...) of the Act.

Date:  
Place:

Signature (DSC):  
Name:  
Designation:  
Office Address:

**FORM GST RFD-11**  
[See rule 96A]

**Furnishing of bond or Letter of Undertaking for export of goods or services**

1. GSTIN				
2. Name				
3. Indicate the type of document furnished				
Bond: <input type="checkbox"/> Letter of Undertaking <input type="checkbox"/>				
4. Details of bond furnished				
Sr. No.	Reference no. of the bank guarantee	Date	Amount	Name of bank and branch
1	2	3	4	5

Note – Hard copy of the bank guarantee and bond shall be furnished to the jurisdictional officer.

5. Declaration -

- (i) The above-mentioned bank guarantee is submitted to secure the integrated tax payable on export of goods or services.
- (ii) I undertake to renew the bank guarantee well before its expiry. In case I/We fail to do so the department will be at liberty to get the payment from the bank against the bank guarantee.
- (iii) The department will be at liberty to invoke the bank guarantee provided by us to cover the amount of integrated tax payable in respect of export of goods or services.

Signature of Authorized Signatory

Name

Designation / Status -----

Date -----



**Letter of Undertaking for export of goods or services without payment of integrated tax**

*(See rule 96A)*

To

The President of India (hereinafter called the "President"), acting through the proper officer

I/We ..... of..... (address of the registered person) having Goods & Services Tax Identification Number No....., hereinafter called "the undertaker(s) including my/our respective heirs, executors/ administrators, legal representatives/successors and assigns by these presents, hereby jointly and severally undertake on this ..... day of ..... to the President

- (a) to export the goods or services supplied without payment of integrated tax within time specified in sub-rule (1) of rule 96A ;
- (b) to observe all the provisions of the Goods and Services Tax Act and rules made thereunder, in respect of export of goods or services;
- (c) pay the integrated tax, thereon in the event of failure to export the goods or services, along with an amount equal to eighteen percent interest per annum on the amount of tax not paid, from the date of invoice till the date of payment.

I/We declare that this undertaking is given under the orders of the proper officer for the performance of enacts in which the public are interested.

IN THE WITNESS THEREOF these presents have been signed the day hereinbefore written by the undertaker(s)

Signature(s) of undertaker(s).

Date :  
Place :

Witnesses	
(1) Name and Address	Occupation
(2) Name and Address	Occupation
Date	
Place	

Accepted by me this.....day of ..... (month)..... (year)  
.....of .....  
(Designation)  
for and on behalf of the President of India ”

OR

- in exercise of the powers conferred upon me under sub-section (2) of section 67 of the Act, I authorize and require you to search the above premises with such assistance as may be necessary, and if any goods or documents and/or other things relevant to the proceedings under the Act are found, to seize and produce the same forthwith before me for further action under the Act and rules made thereunder.

Any attempt on the part of the person to mislead, tamper with the evidence, refusal to answer the questions relevant to inspection / search operations, making of false statement or providing false evidence is punishable with imprisonment and /or fine under the Act read with section 179, 181, 191 and 418 of the Indian Penal Code.

Given under my hand & seal this ..... day of ..... (month) 20.... (year). Valid for ..... day(s).

Seal

Place

Signature, Name and designation of the  
issuing authority

Name, Designation & Signature of the Inspection Officer/s

(i)

(ii)

Sr. No	Description of books / documents / things seized	No. of books / documents / things seized	Remarks
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

and these goods and or things are being handed over for safe upkeep to:

<<Name and address>>

with a direction that he shall not remove, part with, or otherwise deal with the goods or things except with the previous permission of the undersigned.

Place:

Name and Designation of the Officer

Date:

Signature of the Witnesses

Sr. No.	Name and address	Signature
1.		
2.		

To:

<<Name and address>>

**Signature of the Witnesses**

	Name and address	Signature
1.		
2.		

To:

<<Name and address>>

Date :

Place :

Witnesses

(1) Name and Address

(2) Name and Address

Date

Place

Accepted by me this.....day of .....(month).....(year)  
..... (designation of officer) for and on behalf of the President  
/Governor.

(Signature of the Officer)

**FORM GST DRC - 01**  
[See rule 142(1)]

Reference No:

Date:

To

\_\_\_\_\_ GSTIN/ID  
----- Name  
\_\_\_\_\_ Address

Tax Period -----

F.Y. -----

Act -

Section / sub-section under which SCN is being issued -

SCN Reference No. ----

Date ----

**Summary of Show Cause Notice**

(a) Brief facts of the case

(b) Grounds

(c) Tax and other dues

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (name of State)	Tax / Cess	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total						

**FORM GST DRC- 03**

[See rule 142(2) & 142 (3)]

**Intimation of payment made voluntarily or made against the show cause notice (SCN) or statement**

1.	GSTIN										
2.	Name										
3.	Cause of payment										
	<< drop down >> Audit, investigation, voluntary, SCN, others (specify)										
4.	Section under which voluntary payment is made										
	<< drop down >>										
5.	Details of show cause notice, if payment is made within 30 days of its issue							Reference No.		Date of issue	
6.	Financial Year										
7.	Details of payment made including interest and penalty, if applicable										
	(Amount in Rs.)										
Sr. No.	Tax Period	Act	Place of supply (POS)	Tax/ Cess	Interest	Penalty, if applicable	Total	Ledger utilised (Cash / Credit)	Debit entry no.	Date of debit entry	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

8. Reasons, if any - << Text box >>

9. Verification-

I hereby solemnly affirm and declare that the information given hereinabove is true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing has been concealed therefrom.

Signature of Authorized Signatory

Name \_\_\_\_\_

Designation / Status -----

Date -

**FORM GST DRC- 05**  
*[See rule 142(3)]*

Reference No:

Date:

To

\_\_\_\_\_ GSTIN/ID  
----- Name  
\_\_\_\_\_ Address

Tax Period -----  
SCN -  
ARN -

F.Y. -----  
Date -  
Date -

**Intimation of conclusion of proceedings**

This has reference to the show cause notice referred to above. As you have paid the amount of tax and other dues mentioned in the notice along with applicable interest and penalty in accordance with the provisions of section ---- , the proceedings initiated vide the said notice are hereby concluded.

Signature  
Name  
Designation

Copy to --



**FORM GST DRC - 07**  
*[See rule 142(5)]*  
**Summary of the order**

1. Details of order –  
 (a) Order no.                      (b) Order date                      (c) Tax period -

2. Issues involved – << drop down>>  
 classification, valuation, rate of tax, suppression of  
 turnover, excess ITC claimed, excess refund released,  
 place of supply, others (specify)

3. Description of goods / services -

Sr. No.	HSN	Description

4. Details of demand

(Amount in Rs.)

Sr. No.	Tax rate	Turnover	Place of supply	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty
1	2	3	4	5	6	7	8

5. Amount deposited

Sr. No.	Tax Period	Act	Tax/ Cess	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
Total							

Signature  
 Name  
 Designation

Copy to - -

**FORM GST DRC – 09**  
[See rule 143]

To

\_\_\_\_\_  
-----

Particulars of defaulter -

GSTIN –

Name -

Demand order no.:

Date:

Reference no. of recovery:

Date:

Period:

**Order for recovery through specified officer under section 79**

Whereas a sum of Rs. << ----->> on account of tax, cess, interest and penalty is payable under the provisions of the <<SGST/UTGST/ CGST/ IGST/ CESS>> Act by the aforesaid person who has failed to make payment of such amount. The details of arrears are given in the table below:

(Amount in Rs.)

Act	Tax/Cess	Interest	Penalty	Others	Total
1	2	3	4	5	6
Integrated tax					
Central tax					
State/ UT tax					
Cess					
Total					

<< Remarks >>

You are, hereby, required under the provisions of section 79 of the <<SGST >> Act to recover the amount due from the << person >> as mentioned above.

Signature  
Name  
Designation

Place:

Date:

**FORM GST DRC – 11**  
*[See rule 144(5) & 147(12)]*

**Notice to successful bidder**

To,

\_\_\_\_\_

Please refer to Public Auction Reference no. \_\_\_\_\_ dated \_\_\_\_\_. On the basis of auction conducted on \_\_\_\_\_, you have been found to be a successful bidder in the instant case.

You are hereby, required to make payment of Rs. \_\_\_\_\_ within a period of 15 days from the date of auction.

The possession of the goods shall be transferred to you after you have made the full payment of the bid amount.

Signature  
Name  
Designation

Place:

Date:

**FORM GST DRC – 13**

*[See rule 145(1)]*

**Notice to a third person under section 79(1) (c)**

To \_\_\_\_\_  
The \_\_\_\_\_

Particulars of defaulter -

GSTIN –

Name -

Demand order no.:

Date:

Reference no. of recovery:

Date:

Period:

Whereas a sum of Rs. << ---->> on account of tax, cess, interest and penalty is payable under the provisions of the <<SGST / UTGST/CGST/ IGST>> Act by <<Name of Taxable person>> holding <<GSTIN>> who has failed to make payment of such amount; and/or

It is observed that a sum of rupees ----- is due or may become due to the said taxable person from you; **or**

It is observed that you hold or are likely to hold a sum of rupees ----- for or on account of the said person.

You are hereby directed to pay a sum of rupees ----- to the Government forthwith or upon the money becoming due or being held in compliance of the provisions contained in clause (c)(i) of sub-section (1) of section 79 of the Act.

Please note that any payment made by you in compliance of this notice will be deemed under section 79 of the Act to have been made under the authority of the said taxable person and the certificate from the government in **FORM GST DRC - 14** will constitute a good and sufficient discharge of your liability to such person to the extent of the amount specified in the certificate.

Also, please note that if you discharge any liability to the said taxable person after receipt of this notice, you will be personally liable to the State /Central Government under section 79 of the Act to the extent of the liability discharged, or to the extent of the liability of the taxable person for tax, cess, interest and penalty, whichever is less.

Please note that, in case you fail to make payment in pursuance of this notice, you shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and consequences of the Act or the rules made thereunder shall follow.

Signature  
Name  
Designation

Place:

Date:

**FORM GST DRC-15**  
*[See rule 146]*

**APPLICATION BEFORE THE CIVIL COURT REQUESTING EXECUTION FOR A  
DECREE**

To

The Magistrate /Judge of the Court of .....

-----

Demand order no.:

Date:

Period

Sir/Ma'am,

This is to inform you that as per the decree obtained in your Court on the day of  
..... 20..... by .....(name of defaulter) in Suit No. ....  
of 20..., a sum of rupees ----- is payable to the said person. However, the said person is  
liable to pay a sum of rupees ----- under the provisions of the << SGST/UTGST/ CGST/  
IGST/ CESS>> Act vide order number ----- dated -----.

You are requested to execute the decree and credit the net proceeds for settlement of the  
outstanding recoverable amount as mentioned above.

Place:

Date:

Proper Officer/ Specified  
Officer

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Signature  
Name  
Designation

Place:  
Date:

**Schedule (Shares)**

Sr. No.	Name of the Company	Quantity
1	2	3

Signature  
Name  
Designation

Place:  
Date:

**FORM GST DRC – 19**

[See rule 156]

To,

Magistrate,

<<Name and Address of the Court>>

Demand order no.:

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period:

**Application to the Magistrate for Recovery as Fine**

A sum of Rs. << ----- >> is recoverable from <<Name of taxable person>> holding <<GSTIN>> on account of tax, interest and penalty payable under the provisions of the Act. You are requested to kindly recover such amount in accordance with the provisions of clause (f) of sub-section (1) of section 79 of the Act as if it were a fine imposed by a Magistrate.

Details of Amount				
Description	Central tax	State /UT tax	Integrated tax	CESS
Tax/Cess				
Interest				
Penalty				
Fees				
Others				
Total				

Signature

Name

Designation

Place:

Date:



**FORM GST DRC – 21**  
*[See rule 158(2)]*

Reference No << --- >>

<< Date >>

To

GSTIN -----

Name -----

Address -----

Demand Order No.

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period -

Application Reference No. (ARN) -

Date -

**Order for acceptance/rejection of application for deferred payment / payment in  
instalments**

This has reference to your above referred application, filed under section 80 of the Act. Your application for deferred payment / payment of tax/other dues in instalments has been examined and in this connection, you are allowed to pay tax and other dues by ----- (date) or in this connection you are allowed to pay the tax and other dues amounting to rupees ----- in ----- monthly instalments.

**OR**

This has reference to your above referred application, filed under section 80 of the Act. Your application for deferred payment / payment of tax/other dues in instalments has been examined and it has not been found possible to accede to your request for the following reasons:

Reasons for rejection

Signature  
Name  
Designation

Place:

Date:

**FORM GST DRC - 23**

*[See rule 159(3), 159(5) & 159(6)]*

Reference No.:

Date:

To

----- Name

\_\_\_\_\_ Address

(Bank/ Post Office/Financial Institution/Immovable property registering authority)

Order reference No. -

Date -

**Restoration of provisionally attached property / bank account under section 83**

Please refer to the attachment of << saving / current / FD/RD>> account in your << bank/post office/financial institution>> having account no. << ----- >>, attached vide above referred order, to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said accounts. Therefore, the said account may now be restored to the person concerned.

or

Please refer to the attachment of property << ID /Locality>> attached vide above referred order to safeguard the interest of revenue in the proceedings launched against the person. Now, there is no such proceedings pending against the defaulting person which warrants the attachment of the said property. Therefore, the said property may be restored to the person concerned.

Signature  
Name  
Designation

Copy to -

**FORM GST DRC – 25**

[See rule 161]

Reference No << --- >>

<< Date >>

To

GSTIN -----

Name -----

Address -----

Demand Order No.:

Date:

Reference number of recovery:

Date:

Period:

Reference No. in Appeal or Revision or any other proceeding -

Date:

**Continuation of Recovery Proceedings**

This has reference to the initiation of recovery proceedings against you vide above referred recovery reference number for a sum of Rs.....

The Appellate /Revisional authority /Court ..... << name of authority / Court >>

has enhanced/reduced the dues covered by the above mentioned demand order No.....dated.....vide order no. ----- dated ----- and the dues now

stands at Rs.....The recovery of enhanced/reduced amount of Rs..... stands continued from the stage at which the recovery proceedings stood immediately before disposal of appeal or revision. The revised amount of demand after giving effect of appeal / revision is given below:

Financial year: .....

(Amount in Rs.)

Act	Tax	Interest	Penalty	Other Dues	Total Arrears
1	2	3	4	5	6
Central tax					
State / UT tax					
Integrated tax					
Cess					

Signature  
Name

Designation

Place:

Date:

FORM GST CPD-02

[See rule 162(3)]

Reference No:

Date:

To

GSTIN/ID -----

Name-----

Address -----

ARN -----

Date -

**Order for rejection / allowance of compounding of offence**

This has reference to your application referred to above. Your application has been examined in the department and the findings are as recorded below:

<< text >>

I am satisfied that you fulfil the requirements to be allowed to compound the offences in respect of the offences stated in column (2) of the table below on payment compounding amount indicated in column (3):

Sr. No.	Offence	Compounding amount (Rs.)
(1)	(2)	(3)

*Note: In case the offence committed by the taxable person falls in more than one category specified in Column (2), the compounding amount shall be the amount specified in column (3), which is the maximum of the amounts specified against the categories in which the offence sought to be compounded can be categorized.*

You are hereby directed to pay the aforesaid compounding amount by ----- (date) and on payment of the compounding amount, you will be granted immunity from prosecution for the offences listed in column (2) of the aforesaid table.

or

Your application is hereby rejected.

Signature

Name

Designation

”

By order and in the name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi ,

(A. K. Singh)  
Dy. Secretary VI (Finance)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)  
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
वित्त (राजस्व-1) विभाग  
दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट: नई दिल्ली -110002

सं.फा.3(18)/वित्त (राज0-1)/2017-18/डीएस-VII/478

दिनांक: 18/7/2017

अधिसूचना सं. 15/2017

सं.फा.3(18)/वित्त (राज0-1)/2017-18 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का दिल्ली अधिनियम 03) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दिल्ली माल और सेवा कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2017 है ।  
(2) ये 1 जुलाई, 2017 को प्रवृत्त हुए माने जायेंगे ।
2. दिल्ली माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिसे इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) में, नियम 44 में,--
  - (क) उपनियम (2) में "एकीकृत कर और केन्द्रीय कर" शब्दों के स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ; तथा
  - (ख) उपनियम (6) में, "आई.जी.एस.टी. और सी.जी.एस.टी.", शब्दों स्थान पर "केन्द्रीय कर, राज्य कर, संघ राज्यक्षेत्र कर और एकीकृत कर" शब्द रखे जाएंगे ।
3. मूल नियम में, नियम 96 में,--
  - (क) उपनियम (1) के खंड (ख) और
  - (ख) उपनियम (3)

- (4) उप नियम (3) के निबंधनानुसार वापस लिए गए बंधपत्र या परिवचन पत्र के अधीन यथा अनुजात निर्यात को रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति द्वारा देय रकम का संदाय करते ही तुरंत पुनःस्थापित कर दिया जाएगा ।
- (5) आयुक्त, अधिसूचना द्वारा ऐसी शर्तें और रक्षोपाय विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके अधीन किसी बंधपत्र के स्थान पर परिवचन पत्र दिया जा सकेगा ।
- (6) उपनियम (1) के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित किसी विशेष आर्थिक जोन के विकासकर्ता या किसी विशेष आर्थिक जोन इकाई को एकीकृत कर का संदाय किए बिना शून्य दर पर माल या सेवाओं या दोनों के प्रदाय के संबंध में लागू होंगे ।”
5. मूल नियम में, नियम 119 में,
- (क) शीर्षक में "अभिकर्ता" शब्द के स्थान पर "छुट-पुट कार्य करने वाले कर्मकार/ अभिकर्ता" शब्द रखे जाएंगे; तथा
- (ख) "धारा 142 की उप-धारा (14)" शब्दों के स्थान पर, शब्द "धारा 141 या धारा 142 की उप-धारा (14)" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।
6. मूल नियम में, नियम 138 के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

#### "अध्याय 17

#### निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण

139. निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण -- (1) जहां किसी उचित अधिकारी, जो संयुक्त आयुक्त की पंक्ति से नीचे का न हो, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि धारा 67 के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण के प्रयोजनों के लिए कारबार के स्थान या किसी अन्य स्थान का दौरा किया जाना है, वहां वह अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को, यथास्थिति, निरीक्षण या तलाशी या अभिग्रहण किए जाने योग्य माल, दस्तावेजों, पुस्तकों या वस्तुओं का अभिग्रहण करने के लिए प्ररूप जीएसटी आईएनएस-01 प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा ।

(2) जहां कोई माल या दस्तावेज या पुस्तकें या वस्तुएं धारा 67 की उपधारा (2) के अधीन अभिग्रहण किए जाने योग्य हैं वहां उचित अधिकारी या प्राधिकृत अधिकारी प्ररूप जीएसटी आईएनएसए-02 में अभिग्रहण का आदेश करेगा ।

ऐसे माल या वस्तुओं को, संदाय के सबूत के आधार पर प्ररूप जीएसटी आई एनएस-05 में आदेश द्वारा तुरंत निर्मोचित कर दिया जाएगा ।

(2) जहां कराधेय व्यक्ति उक्त माल या वस्तुओं के संबंध में उपनियम (1) में निर्दिष्ट रकम का संदाय करने में असफल रहता है वहां आयुक्त ऐसे माल या वस्तुओं का व्ययन कर सकेगा और उसके द्वारा वसूल की गई रकम को ऐसे माल या वस्तुओं के संबंध में संदेय कर, ब्याज, शास्ति या किसी अन्य रकम के प्रति समायोजित कर सकेगा ।

## अध्याय 18

### मांग और वसूली

142. अधिनियम के अधीन संदेय रकम की मांग के लिए सूचना और आदेश -- (1) उचित अधिकारी,--

(क) धारा 73 की उपधारा (1) या धारा 74 की उपधारा (1) या धारा 76 की उपधारा (2) के अधीन सूचना, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-01 में, या

(ख) धारा 73 की उपधारा (3) या धारा 74 की उपधारा (3) के अधीन कथन, उसके संक्षिप्त विवरण की, इलैक्ट्रानिक रूप से प्ररूप जीएसटी डीआरसी-02 में,

उसमें संदेय रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करते हुए तामील करेगा ।

(2) जहां सूचना या कथन की तामील से पहले कर से प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (5) के अनुसार कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (5) के उपबंधों के अनुसार ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है, वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-04 में उक्त व्यक्ति द्वारा किए गए संदाय को स्वीकार करते हुए एक अभिस्वीकृति जारी करेगा ।

(3) जहां, कर से प्रभार्य व्यक्ति उपनियम (1) के अधीन सूचना की तामील होने के तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, धारा 73 की उपधारा (8) के अधीन कर और ब्याज का या धारा 74 की उपधारा (8) के अधीन कर, ब्याज और शास्ति का संदाय कर देता है वहां वह उचित अधिकारी को, प्ररूप जीएसटी डीआरसी-03 में ऐसे संदाय की सूचना देगा और उचित अधिकारी उक्त सूचना के संबंध में कार्यवाहियों को समाप्त करते हुए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-05 में आदेश जारी करेगा ।

(2) उक्त माल का, नीलामी, जिसके अंतर्गत ई-नीलामी भी है, की प्रक्रिया के माध्यम से विक्रय किया जाएगा, जिसके लिए प्ररूप जीएसटी डीआरसी-10 में विक्रय किए जाने वाले माल को और नीलामी के प्रयोजन को स्पष्ट रूप से उपदर्शित करते हुए एक सूचना जारी की जाएगी।

(3) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (2) में निर्दिष्ट सूचना जारी करने की तारीख से पन्द्रह दिन से पूर्व की नहीं होगी।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उसे अभिरक्षा में रखने का व्यय उसकी कीमत से अधिक होने की संभावना है, वहां उचित अधिकारी उसका तुरंत विक्रय कर सकेगा।

(4) उचित अधिकारी, नीलामी में भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूरी रकम का संदाय करने में असफल रहता है तो उसे समपद्धत किया जा सकेगा।

(5) उचित अधिकारी, सफल बोली लगाने वाले को प्ररूप जीएसटी डीआरसी 11 में नीलामी की तारीख से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर उससे संदाय करने की अपेक्षा करते हुए सूचना जारी करेगा। बोली की पूरी रकम के संदाय पर उचित अधिकारी उक्त माल का कब्जा सफल बोली लगाने वाले को अंतरित करेगा तथा प्ररूप जीएसटी डीआरसी-12 में प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(6) जहां व्यतिक्रमी उपनियम (2) के अधीन सूचना जारी करने से पूर्व, वसूली के अधीन रकम का, जिसके अन्तर्गत वसूली की प्रक्रिया पर उपगत व्यय भी है संदाय कर देता है, वहां उचित अधिकारी नीलामी की प्रक्रिया रद्द करेगा और माल निर्मोचित कर देगा।

(7) जहां कोई बोली प्राप्त नहीं होती है या नीलामी को पर्याप्त भागीदारी की कमी या कम बोलियों की कारण से गैर-प्रतियोगी समझा जाता है, वहां उचित अधिकारी प्रक्रिया रद्द करेगा और पुनः- नीलामी के लिए कार्यवाही करेगा।

145. किसी तृतीय व्यक्ति से वसूली -- (1) उचित अधिकारी, धारा 79 की उप-धारा (1) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति पर, (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "तृतीय व्यक्ति" कहा गया है) प्ररूप जीएसटी डीआरसी 13 में, उसे सूचना में विनिर्दिष्ट रकम जमा कराने का निदेश देते हुए, सूचना की तामील कर सकेगा।



वाली संपत्ति को स्पष्टतः उपदर्शित करते हुए और विक्रय का प्रयोजन देते हुए, जारी किया जाएगा ।

(5) इस अध्याय के उपबंधों के अधीन इन नियमों में किसी भी बात के होते हुए, जहां विक्रय की जाने वाली संपत्ति, पराक्रम्य लिखत या किसी निगम में कोई अंश है, वहां उचित अधिकारी इसे लोक नीलामी से विक्रय करने के बजाय ऐसे लिखत या अंश को किसी दलाल के माध्यम से विक्रय कर सकेगा और उक्त दलाल वसूली के अधीन यथा अपेक्षित रकम को उन्मोचन के लिए, उसके कमीशन को घटाकर ऐसे विक्रय के आगम को सरकार को निक्षेप करेगा और अधिशेष रकम, यदि कोई हो, का संदाय ऐसे लिखत या अंश के स्वामी को करेगा ।

(6) उचित अधिकारी, नीलामी में, भाग लेने के लिए बोली लगाने वालों को पात्र बनाने के लिए, ऐसे अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट रीति में दी जाने वाली पूर्व निक्षेप की ऐसी रकम विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिसे, यथास्थिति, सफल बोली लगाने वालों को वापस किया जा सकेगा या यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम का संदाय करने में असफल हो जाता है तो उसे समपहत किया जा सकेगा ।

(7) नीलामी की तारीख या बोली प्रस्तुत करने के लिए अंतिम दिन उपनियम (4) में निर्दिष्ट सूचना जारी होने की तारीख से 15 दिन से पूर्व नहीं होगा ।

परन्तु जहां माल विनश्वर या परिसंकटमय प्रकृति का है या जहां उनको अभिरक्षा में रखने का व्यय उनकी कीमत से अधिक होना संभवनीय है, तो अधिकारी उन्हें तुरंत विक्रय कर सकेगा ।

(8) जहां कोई या आक्षेप किसी संपत्ति की कुर्की या करस्थम् के संबंध में इस आधार पर किया जाता है या उठाया जाता है कि ऐसी संपत्ति ऐसी कुर्की या करस्थम् के लिए दायी नहीं है, वहां उचित अधिकारी ऐसे दावे या आक्षेप का अन्वेषण करेगा और विक्रय को ऐसे समय के लिए, जैसा वह ठीक समझे, मुलतवी कर सकेगा ।

(9) दावा या आक्षेप करने वाला व्यक्ति साक्ष्य देगा कि उपनियम (1) के अधीन जारी आदेश की तारीख को कुर्की या करस्थम् के अधीन प्रश्नगत संपत्ति में वह कब्जे में था या उसका कुछ हित था ।

(10) जहां अन्वेषण करने पर उचित अधिकारी का दावा या आक्षेप में कथित कारण से, यह समाधान हो जाता है कि ऐसी संपत्ति उक्त तारीख को व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं थी या व्यतिक्रमी के या उक्त तारीख पर व्यतिक्रमी के कब्जे में होने के कारण यह उसके कब्जे में नहीं थी जहां अन्वेषण पर, उचित अधिकारी का दावे या आक्षेप में कथित कारणों से यह समाधान हो जाता है कि उक्त तारीख को ऐसी सम्पत्ति, व्यतिक्रमी या उसकी ओर से किसी अन्य ऐसे व्यक्ति के, कब्जे में नहीं थी या वह उक्त तारीख को जो

149. अवकाश-दिन पर विक्रय करने का प्रतिषेध--इस अध्याय के उपबंधों के अधीन नियमों के अंतर्गत, रविवार या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त अन्य साधारण अवकाश-दिन पर या किसी अन्य दिन, जो सरकार द्वारा उस क्षेत्र के लिए जिसमें विक्रय किया जाना है अवकाश-दिन घोषित किया गया है, कोई विक्रय नहीं किया जाएगा ।

150. पुलिस द्वारा सहायता -- उचित अधिकारी, अधिकारिता रखने वाले पुलिस स्टेशन के भारसाधक-अधिकारी से ऐसी सहायता जो उसके कर्तव्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक हो, मांग सकेगा और उक्त भारसाधक अधिकारी ऐसी सहायता उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात करेगा ।

151. ऋणों और शेयरों आदि की कुर्की -- (1) कोई ऋण जो परक्राम्य लिखत द्वारा सुनिश्चित नहीं किया गया है, निगम में शेयर या अन्य जंगम सम्पत्ति जो व्यतिक्रमी के कब्जे में नहीं है, सिवाए ऐसी सम्पत्ति के जो निक्षेप की गई है या किसी न्यायालय की अभिरक्षा में है, प्ररुप जीएसटीडी आरसी-16 में लिखित आदेश द्वारा,--

(क) ऋण के मामले में लेनदार को ऋण की वसूली करने से और ऋणी को उसका संदाय करने से जबतक कि उचित अधिकारी से अतिरिक्त आदेश प्राप्त नहीं किया जाता ;

(ख) शेयर के मामले में व्यक्ति जिसके नाम में शेयर धारित हो, को उसे अंतरित करने से या उस पर कोई लाभांश प्राप्त करने से ;

(ग) किसी अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को इसे व्यतिक्रमी को देने से प्रतिषिद्ध करते हुए कुर्क किया जाएगा ।

(2) ऐसे आदेश की एक प्रति उचित अधिकारी के कार्यालय के किसी सहजदृश्य भाग पर चिपकाया जाएगा, और एक अन्य प्रति ऋण के मामले में, ऋणी को भेजी जाएगी, और शेयरों के मामलों में, निगम के रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजी जाएगी और अन्य जंगम सम्पत्ति के मामले में, उसका कब्जा रखने वाले व्यक्ति को भेजी जाएगी ।

(3) उप नियम (1) के खण्ड (क) के अधीन प्रतिषिद्ध कोई ऋणी, अपने ऋण की राशि का संदाय उचित अधिकारी को कर सकेगा, और ऐसा संदाय व्यतिक्रमी को संदेय किया गया समझा जाएगा ।

152. न्यायालयों या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में सम्पत्ति की कुर्की -- जहां कुर्की की जाने वाली सम्पत्ति किसी न्यायालय या लोक अधिकारी की अभिरक्षा में है, वहां उचित अधिकारी ऐसे न्यायालय या अधिकारी को यह अनुरोध करते हुए कुर्की का आदेश भेजेगा कि, ऐसी सम्पत्ति और उस पर संदेय कोई ब्याज या लाभांश, संदेय राशि की वसूली तक धारित कर लिया जाए ।

जीएसटीडी आरसी-19 में सम्बंधित व्यक्ति से तद्दीन विनिर्दिष्ट रकम की वसूली के लिए एक आवेदन करेगा, जैसे कि यह उसके द्वारा अधिरोपित एक जुर्माना हो ।

157. प्रतिभू से वसूली -- जहां कोई व्यक्ति व्यतिक्रमी पर शोधय रकम के लिए प्रतिभू बना है, वहां इस अध्याय के अधीन उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, जैसे कि वह व्यतिक्रमी हो ।

158. किस्तों में कर और अन्य रकमों का संदाय -- (1) किसी कराधेय व्यक्ति द्वारा अधिनियम के अधीन शोधय करों या किसी रकम के संदाय के लिए समयावधि के विस्तार की ईप्सा करते हुए या धारा 80 के उपबंधों के अनुसार किस्तों में ऐसे करों या रकम के संदाय को अनुज्ञात करने के लिए प्ररुप जीएसटीडी आरसी-20, में इलैक्ट्रोनिकली आवेदन फाइल किए जाने पर, आयुक्त, उक्त रकम का संदाय करने के लिए कराधेय व्यक्ति की वित्तीय योग्यता के सम्बंध में, अधिकारिता रखने वाले अधिकारी से रिपोर्ट की मांग करेगा ।

(2) कराधेय व्यक्ति की प्रार्थना और अधिकारिता रखने वाले अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, आयुक्त कराधेय व्यक्ति को संदाय करने के लिए अतिरिक्त समय और/या रकम का ऐसी मासिक किस्तों में, जो चौबीस से अनधिक हो, जैसा वह उपयुक्त समझे, संदाय अनुज्ञात करते हुए, प्ररुप जीएसटीडी आरसी-21 में एक आदेश जारी कर सकेगा ।

(3) उपनियम (2) में निर्दिष्ट सुविधा, वहां अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जहां--

(क) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन किसी रकम का संदाय करने का पहले से व्यतिक्रमी है जिसके लिए वसूली प्रक्रिया चालू है ;

(ख) कराधेय व्यक्ति अधिनियम या एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में किस्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है ;

(ग) कोई रकम, जिसके लिए किस्त सुविधा की ईप्सा की गई है, पच्चीस हजार रुपयों से कम है ।

159. सम्पत्ति की अनंतिम कुर्की -- (1) जहां आयुक्त धारा 83 के उपबंधों के अनुसार बैंक खाता सहित, किसी सम्पत्ति की कुर्की करने का विनिश्चय करता है, वहां वह प्ररुप जीएसटीडी आरसी-22 में तद्दीन सम्पत्ति जो कुर्की की गई है के विवरणों का उल्लेख करते हुए एक आदेश पारित करेगा ।

162. अपराधों के प्रशमन के लिए प्रक्रिया -- (1) कोई आवेदक, या तो अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात् धारा 138 की उपधारा (1) के अधीन प्ररूप जीएसटीसी पीडी-01 में, अपराध के प्रशमन के लिए आयुक्त को आवेदन कर सकेगा ।

(2) आवेदन की प्राप्ति पर, आयुक्त, आवेदन में प्रस्तुत की गई विशिष्टियाँ या कोई अन्य सूचना, जो ऐसे आवेदन की परीक्षा के लिए सुसंगत विचार की जा सकेगी, के संदर्भ में सम्बंधित अधिकारी से एक रिपोर्ट मांगेगा ।

(3) आयुक्त, आवेदन प्राप्त होने के नब्बे दिन के भीतर, उक्त आवेदन की अन्तर्वस्तु पर विचार करने के पश्चात् प्ररूप जीएसटीसीपीडी-02 में आदेश द्वारा या तो इस सम्बन्ध में समाधान होने पर कि आवेदक ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है और मामले से सम्बन्धित तथ्यों का पूर्ण और सत्य प्रकटन किया है, यह प्रशमित रकम इंगित करते हुए आवेदन मंजूर कर सकेगा और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसा आवेदन को नामंजूर कर सकेगा ।

(4) उपनियम (3) के अधीन आवेदन का विनिश्चय, आवेदक को उस पर सुनवाई का अवसर दिए बिना और ऐसी नमंजूरी के कारणों को अभिलिखित किए बिना नहीं किया जाएगा ।

(5) आवेदन अनुज्ञात नहीं जाएगा जबतक संदाय के लिए दायी कर, ब्याज और शास्ति का मामले में संदाय नहीं कर दिया जाता जिसके लिए आवेदन किया गया है ।

(6) आवेदक उप नियम (3) के अधीन आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिवसों की अवधि के भीतर आयुक्त द्वारा आदेश की गई प्रशमित रकम का संदाय करेगा और उन्हें ऐसे संदाय का सबूत प्रस्तुत करेगा ।

(7) यदि आवेदक उपनियम (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्रशमित रकम का संदाय करने में विफल रहता है, तब उप नियम (3) के अधीन किया गया आदेश दूषित और शून्य हो जाएगा ।

(8) किसी व्यक्ति को उप नियम (3) के अधीन प्रदान की गई उन्मुक्ति, आयुक्त द्वारा किसी समय भी प्रत्याहृत की जा सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के अनुक्रम में, कोई तात्विक विशिष्टियाँ छिपायी थी या मिथ्या साक्ष्य दिया था तदुपरि ऐसे व्यक्ति का ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी या किसी अन्य अपराध के लिए विचारण किया जा सकेगा, जो कि उसके द्वारा प्रशमन कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कारित किया गया प्रतीत होता है और अधिनियम के उपबंध लागू होंगे, जैसे कि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी ।

प्ररूप - जीएसटी-आरएफडी-01

[नियम 89(1) देखें]

प्रतिदाय के लिए आवेदन

चयन - रजिस्ट्रीकृत/आकस्मिक/अरजिस्ट्रीकृत/अनिवासी कराधेय व्यक्ति

1. जीएसटीआईएन/अस्थायी आईडी:
2. विधिक नाम :
3. व्यापार नाम, यदि कोई हो :
4. पता :
5. कर अवधि : <दिन/मास/वर्ष> से <दिन/मास/वर्ष>
6. दावा किए गए प्रतिदाय की रकम :

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

7. दावा किए गए प्रतिदाय के आधार (नीचे से चयन करें) :

(क) इलैक्ट्रॉनिक नकद खाता में अतिरिक्त अतिशेष :

(ख) सेवाओं का निर्यात--कर के संदाय सहित :

(ग) माल/सेवाओं का निर्यात-- कर के संदाय के बिना उदरहणार्थ, संचित इनपुट कर प्रत्यय

(घ) निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/किसी अन्य आदेश के कारण---

(i) आदेश के प्रकार चयन :

निर्धारण/अनंतिम निर्धारण/अपील/ अन्य

(ii) निम्नलिखित ब्यौरों का उल्लेख करें, --

संदत्त कर एकीकृत कर जिसकी बाबत प्रतिदाय दावा किया गया है, के प्रतिदाय हेतु दावा नहीं किया है ।

हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम/ प्रास्थिति

#### घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि आवेदन में किए गए दावा निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय दरों पर शून्य के लिए उपयोजित माल या सेवाओं पर प्राप्य किया था या पूर्णतः छूट जो प्रदाय करता है ।

हस्ताक्षर  
नाम  
पदनाम/ प्रास्थिति

#### स्वयं-घोषणा

मैं/हम..... (आवेदक) जिसके पास माल या सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी..... सत्यानिष्ठा से प्रतिज्ञान और प्रमाणित करता हूँ/करते हैं और प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि कर, ब्याज या उसकी अवधि ..... से ..... तक के लिए कर, ब्याज, या कोई अन्य रकम के बारे में ..... रुपए के लिए उसकी कोटि प्रतियां की बाबत आवेदन प्रतिदाय में दावा किया गया है, ऐसे कर और ब्याज की घटना किसी व्यक्ति द्वारा पारित नहीं किया गया है ।

(इस घोषणा का ऐसे आवेदकों द्वारा दिया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिन्होंने धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय का दावा किया है) ।

#### 10 सत्यापन

मैं/हम ..... (करदाता का नाम) सत्यानिष्ठा प्रतिज्ञान और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दी गई सूचना मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास में सत्य और सही है और इसमें कोई बात छिपाई नहीं गई है ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस मद्दे कोई प्रतिदाय प्राप्त नहीं किया गया है ।

स्थान  
तारीख

प्राधिकारी का हस्ताक्षर  
(नाम)  
पदनाम/प्रास्थिति

कथन 2:

प्रतिदाय का प्रकार :

कर संदाय सहित सेवाओं का निर्यात

(जीएसटीआर-1 : सारणी - 6क और सारणी -9)

1.

प्रतिकर्ता का जीएसटीआईएन	बीजक के ब्यौरे				एकीकृत कर			बीआरसी/एफआईआरसी		संशोधित मूल्य (एकीकृत कर) (यदि कोई है)	नामनोट एकीकृत कर/संशोधित (यदि कोई है)	जमापत्र एकीकृत कर/संशोधि त (यदि कोई है)	शुद्ध एकीकृत कर $= (1/8) + 12$ - 13
	सं०	तारीख	मूल्य	एसएसी	दर	कराधेय कर	रकम	संख्यां	तारीख				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6क. निर्यात													

बीआरसी/ एफआईआरसी के ब्यौरे, आजापक है—सेवाओं के मामले में)







## उपबंध-2

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ..... कर अवधि के लिए.....माल और सेवा कर पहचान संख्या/अस्थायी आईडी, मैसर्स..... (आवेदक का नाम) द्वारा .....(शब्दों में) आई एन आर दावे के प्रतिदाय के संबंध में कर और ब्याज का आपतन किसी अन्य व्यक्ति ने पारित नहीं किया है। यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा विशेष रूप से अनुरुक्षित/दिए गए लेखा पुस्तकों और अन्य सुसंगत अभिलेखों और विवरणियों के परीक्षण के आधार पर है।

चार्टर्ड आकाऊन्टेंट/लागत लेखाकार के हस्ताक्षर :

नाम :

सदस्यता संख्या :

स्थान :

तारीख :

यह प्रमाणपत्र आवेदक द्वारा अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (8) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (ड.) या खंड (च) के अधीन प्रतिदाय दावा दिया जाना अपेक्षित नहीं है।

प्रतिदाय आवेदन ब्यौरा	
कर अवधि	
फाइल करने की तारीख और समय	
प्रतिदाय के लिए कारण	

दावाकृत प्रतिदाय की रकम	कर	ब्याज	शास्ति	फीस	अन्य	कुल
केन्द्रीय कर						
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सेवा कर						
एकीकृत कर						
उपकर						
कुल						

प्ररुप जीएसटी आरएफडी- -04  
/नियम 91(2) देखें/

मंजूरी आदेश सं.: \_\_\_\_\_ तारीख: <दिन /मास /वर्ष >

सेवा में \_\_\_\_\_ (माल और सेवा कर पहचान संख्या)  
\_\_\_\_\_ (नाम)  
\_\_\_\_\_ (पता)

अनंतिम प्रतिदाय आदेश

प्रतिदाय आवेदन संदर्भ सं. (ए आर एन).....तारीख ..... तारीख: <दिन /मास /वर्ष >  
अभिस्वीकृति सं.....तारीख..... <दिन /मास /वर्ष >

महोदय /महोदया,

प्रतिदाय के लिए आपके उपरोक्त वर्णित आवेदन के संदर्भ में, निम्नलिखित रकम अनंतिम आधार पर आपको स्वीकृत की जाती है :

तारीख:

स्थान:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

बैंक के ब्यौरे	
(i)	आवेदन के अनुसार बैंक खाता संख्या
(ii)	बैंक का नाम
(iii)	बैंक/शाखा का नाम और पता
(iv)	आईएफएससी
(v)	एमआईसीआर

तारीख:

हस्ताक्षर (डी एस सी):

स्थान:

नाम:

पदनाम:

कार्यालय पता:

सेवा में

.....(जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी)

.....(नाम)

.....(पता)







प्ररूप जीएसटी आरएफडी-07  
/नियम 92(1), 92(2), 96(6) देखें/

तारीख: <दिन/मास/वर्ष >

संदर्भ सं.

सेवा में,

..... (जीएसटीआईएन/यूआईएन/अस्थायी आईडी सं.)

.....नाम

.....(पता)

अभिस्वीकृति संख्या .....

तारीख:.....<दिन/मास/वर्ष >.....

स्वीकृत प्रतिदाय के पूर्ण समायोजन के लिए आदेश

भाग - क

महोदय/महोदया,

उपरोक्त यथानिर्दिष्ट आपके प्रतिदाय आवेदन के संदर्भ में और आपको स्वीकृत किए गए प्रतिदाय की रकम के विरुद्ध और दी गई सूचना या फाइल किए गए दस्तावेज बकाया मांग के विरुद्ध पूर्ण रूप से समायोजित कर दिया गया है जो ब्यौरे के अनुसार निम्नलिखित है :-

## भाग- ख

## प्रतिदाय रोकने के लिए आदेश

यह आपके ऊपर निर्दिष्ट प्रतिदाय आवेदन और मामले में दी गई सूचना/दस्तावेजों के संदर्भ में है। आपको मंजूर किए गए प्रतिदाय की रकम निम्नलिखि कारणों से प्रतिधारित कर दी गई है :

प्रतिदाय आदेश सं. :			
आदेश दारी करने की तारीख:			
प्रतिदाय गणना	एकीकृत कर	केन्द्रीय कर	राज्य /संघ राज्यक्षेत्रकर
उपकर			
i. मंजूर प्रतिदाय की रकम			
ii. रोके गए प्रतिदाय की रकम			
iii. अनुशेष प्रतिदाय की रकम			
प्रतिदाय रोकने के लिए कारण			
<<पाठ>>			

में, यह आदेश देता हूँ कि उपरोक्त यथादर्शित दावाकृत अनुशेष प्रतिदाय की रकम इस अधिनियम के अधीन उपरोक्त वर्णित कारणों के लिए रोक दी गई। यह आदेश इस अधिनियम की धारा (.....) उपधारा (.....) के अधीन उपबंधों के अनुसार जारी किया गया है

प्ररूप जीएसटी आरएफडी-10  
/नियम 95(1) देखें/

संयुक्त राष्ट्र का कोई विशिष्ट अभिकरण या कोई बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास आदि द्वारा प्रतिदाय के लिए आवेदन

1. यूआईएन :
2. नाम :
3. पता :
4. कर अवधि (तिमाही) : दिन /मास /वर्ष से .....तक

<दिन /मास /वर्ष >

5. दावा प्रतिदाय की रकम <आई एन आर ><शब्दों में>

	रकम
केन्द्रीय कर	
राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	
एकीकृत कर	

## 8. सत्यापन

मैं, .....>दूतावास/अंतर्राष्ट्रीय संगठन का नाम> का प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ और घोषणी करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास से सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

यह कि हम सरकार द्वारा अधिसूचित संयुक्त राष्ट्र का विशिष्ट अभिकरण बहुपक्षीय वित्तीय संस्थान और संगठन, कान्सुलेट या विदेशी राज्यों के दूतावास कोई अन्य व्यक्ति विशिष्ट व्यक्तियों का वर्ग के रूप में ऐसे प्रतिदाय दावा के पात्र हैं ।

स्थान:

तारीख:

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

(नाम)

पदनाम / प्रास्थिति

टिप्पण : बैंक गारंटी और बंधपत्र की ठोस प्रति अधिकारिता अधिकारी को दी जाएगी ।

5. घोषणा-

- (i) ऊपर उल्लिखित बैंक गारंटी, माल और सेवाओं के निर्यात पर संदेय एकीकृत कर को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई हैं
- (ii) मैं इसके अवसान से पूर्व बैंक गारंटी के नवीकरण का परिवचन पत्र करता हूँ । मेरे/हमारे ऐसा करने में विफल रहने की दशा में, विभाग बैंक से बैंक गारंटी पर संदाय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा ।
- (iii) विभाग, माल या सेवा के निर्यात के संदर्भ में एकीकृत कर संदेय की रकम को आच्छादित करने के लिए हमारे द्वारा दी गई बैंक गारंटी को अवलंब करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा ।

प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर

नाम

पदनाम/प्रास्थिति.....

तारीख.....

मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह बंधपत्र, किसी ऐसे कृत्य के अनुपालन के लिए, जिसमें जनता हितबद्ध है, सरकार के आदेशों के अधीन दिया गया है ;

इसके साक्ष्य स्वरूप बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) द्वारा इसमें इसके पूर्व लिखित तारीख को इनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए ।

बाध्यताधारी (बाध्यताधारियों) का (के) हस्ताक्षर

तारीख :

स्थान :

साक्षी

(1) नाम और पता

व्यवसाय

(2) नाम और पता

व्यवसाय

मैं आज, .....तारीख.....(मास) .....(वर्ष) को .....  
(पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ ।

(2) नाम और पता

व्यवसाय

मैं आज, .....तारीख.....(मास) .....(वर्ष) को .....  
(पदनाम) की उपस्थिति में भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से इसे स्वीकार करता हूँ ।

इ

- अधिनियम के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत जब्ती योग्य माल/ दस्तावेजों को कारबार/ आवासीय परिसर में गुप्त रखा गया है, जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है

&lt;&lt;परिसरों का ब्यौरे&gt;&gt;

इसलिए.

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/ या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें ।

या

- मैं, अधिनियम की धारा 67 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं आपको प्राधिकृत करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आवश्यक सहायक के साथ इसके अधीन बनाये गए उक्त अधिनियम और नियमों के अधीन प्रक्रियाओं से सुसंगत माल या दस्तावेजों और/या अन्य वस्तुओं का निरीक्षण करें और यदि कुछ पाया जाता है, तो इसके अधीन आगे की कार्यवाही के लिए उसे जब्त करके उसे प्रस्तुत करें ।

किसी व्यक्ति द्वारा भुलावा देने का, साक्ष्य को बिगाड़ने का, निरीक्षण/ तलाशी की प्रक्रिया के दौरान सुसंगत प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करने का कोई भी प्रयत्न, भारतीय दण्ड संहिता की दारा 179, 181, 191 और 418 सपठित अधिनियम के अधीन कारावास और/ या जुर्माना के साथ दण्डनीय होगा ।

दिन.....मास.....20.....वर्ष में मेरा हस्ताक्षर और मुद्रा  
.....दिनों के लिए वैध ।

मुद्रा

स्थान

जारी करने वाले प्राधिकारी का

हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

निरीक्षण करने वाले अधिकारी/अधिकारियों का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर

(i)

(ii)



क्र. सं.	अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं का वर्णन	अभिग्रहीत की गई पुस्तकें/दस्तावेजों/वस्तुओं की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4

और ये माल और चीजें संभाल कर सुरक्षित रखने के लिए हैं ;

<<नाम और पता>>

इस निर्देश के साथ कि वह समनुदेशिती की पूर्व अनुमति के बिना माल या वस्तुओं, उसके भाग या उसके साथ अन्यथा व्यवहार नहीं करेगा ।

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

दिनांक:

साक्षियों का हस्ताक्षर

क्र. सं.	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

<<नाम और पता>>

स्थान:

अधिकारी का नाम और पदनाम

तारीख:

साक्षियों के हस्ताक्षर

	नाम और पता	हस्ताक्षर
1.		
2.		

सेवा में:

&lt;&lt;नाम और पता&gt;&gt;

(2) नाम और पता :

तारीख :

स्थान :

आज तारीख ..... (मास) ..... वर्ष ..... को (समुचित प्राधिकारी का पदनाम)  
राष्ट्रपति/राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से स्वीकार करता हूँ ।

(अधिकारी के हस्ताक्षर)

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 01

[नियम 142(1) देखें]

संदर्भ सं०.....

तारीख .....

सेवा में

.....जीएसटीआईएन/आईडी

नाम.....

पता .....

.....कर अवधि ..... वित्तीय वर्ष.....अधिनियम

धारा/उपधारा जिसके अधीन कारण बताओ सूचना जारी की गई है

एससीएन संदर्भ सं०

तारीख .....

कारण बताओ सूचना का संक्षिप्त विवरण

(क) मामले को संक्षिप्त तथ्य

(ख) आधार

(ग) कर और अन्य शोध्य

(रुपए में रकम)

क्रम सं०	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (राज्य का नाम)	कर/उपकर	अन्य	योग
1	2	3	4	5	6	7
योग						

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 03

[नियम 142(2) और 142(3) देखें]

स्वैच्छिक रूप से किया गया संदाय की सूचना या किया गया कारण बताओ नोटिस (एससीएन) के प्रति  
या कथन

1.	जीएसटीआईएन									
2.	नाम									
3.	संदाय के हेतुक	<< नीचे करे >> लेखा परीक्षा, अन्वेषण, स्वैच्छिक/एससीएन, अन्य (विनिर्दिष्ट करें)								
4.	वह धारा जिसके अधीन स्वैच्छिक संदाय किया गया है।	<< नीचे करे >>								
5.	कारण बताओ नोटिस के ब्यौरे, यदि इसके जारी के 30 दिन के भीतर संदाय किया गया है।	संदर्भ संख्या जारी की तारीख								
6.	वित्तीय वर्ष									
7.	ब्याज और शास्ति सहित किए गए संदाय के ब्यौरे									
(रकम रुपए में)										
क्रम सं०	कर अवधि	अधिनियम	प्रदाय का स्थान (पीओए स)	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति, यदि प्रयोज्य	योग	उपयोग किए गए खाते	विकलन प्रविष्टि सं०	विकलन प्रविष्टि की तारीख
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

8. कारण, यदि कोई हो - <<पाठ खाना>>

9. सत्यापन -

मैं तदनुसार सत्यनिष्ठा से प्रतिजान करता हूं कि यहां ऊपर नीचे दी गई सूचना सर्वोत्तम जानकारी सत्य और सही है और कोई बात छिपाया नहीं गया है।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम/प्रास्थिति .....

तारीख .....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 05

[नियम 142(3) देखें]

संदर्भ सं.:

तारीख:

सेवा में,

\_\_\_\_\_ जीएसटीआईएन/आईडी

----- नाम

\_\_\_\_\_ पता

कर अवधि -----

वित्तीय वर्ष -----

एससीएन

तारीख -

एआरएन -

तारीख -

### कार्यवाहियों के निष्कर्ष की सूचना

यह उपरोक्त कारण बताओ सूचना के संदर्भ में है। जैसा कि आपने.....धारा के उपबंधों के अनुसरण में लागू ब्याज और शास्ति के साथ सूचना में उल्लिखित कर की रकम और अन्य बकाया संदत्त कर दिया है, उक्त सूचना द्वारा प्रारम्भ की गई कार्यवाहियां समाप्त की जाती हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति -







## प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 09

[नियम 143 देखें]

सेवा में,

\_\_\_\_\_

-----

व्यतिक्रमी के ब्यौरे -

जीएसटीआईएन -

नाम -

मांग आदेश सं.:

तारीख:

वसूली की संदर्भ सं.:

अवधि:

तारीख:

विनिर्दिष्ट अधिकारी के माध्यम से धारा 79 के अधीन वसूली के लिए आदेश

जहां कर, उपकर, ब्याज और शास्ति के लेखे <<----->> रुपये की राशि <<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सेस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपरोक्त व्यक्ति, जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो चुका है, द्वारा संदेय है। बकाया के ब्यौरे नीचे दी गई सारणी में दिए गए हैं:

(रकम रुपयों में)

कार्य	कर/उपकर	ब्याज	शास्ति	अन्य	कुल
1	2	3	4	5	6
एकीकृत कर					
केन्द्रीय कर					
राज्य/संघ					

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 10

(नियम 144(2) देखें)

अधिनियम की धारा 79 (1)(ख) के अधीन माल के नीलामी की सूचना

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

अवधि:

मेरे द्वारा ---- रुपए और उस पर ब्याज की वसूली के लिए नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट कुर्क किए गए या करस्थम किए गए माल के विक्रय के लिए आदेश किया गया है और जो धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में वसूली प्रक्रिया पर उपगत व्यय ग्राह्य है ।

विक्रय लोक नीलामी द्वारा किया जाएगा और माल अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जाएगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, शीर्षक और हितों के लिए किया जाएगा और उक्त संपत्तियों के लिए संलग्न दायित्व और दावे, जिस प्रकार उन्हें सुनिश्चित किया गया है, प्रत्येक लाट के सामने अनुसूची में उन्हें विनिर्दिष्ट किया गया है ।

नीलामी..... पर ..... प्रातः/सांय को आयोजित की जाएगी। नीलामी के तारीख से पूर्व देय सम्पूर्ण रकम के संदत्त हो जाने पर विक्रय रोक दिया जाएगा ।

प्रत्येक लाट की कीमत विक्रय के समय या समुचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशों के अनुसार संदत्त की जाएगी और संदाय के व्यतिक्रम में माल को पुनः नीलामी और पुनः विक्रय के लिए रखा जाएगा ।

अनुसूची

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान:

तारीख:

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 12  
(नियम 144(5) और 147(12) देखें)

विक्रय प्रमाण पत्र

मांग आदेश संख्या:

वसूली की संदर्भ संख्या:

तारीख:

अवधि:

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित माल:

अनुसूची (जंगम माल)

क्र.सं.	माल का विवरण	मात्रा
1	2	3

अनुसूची (स्थावर माल)

भवन सं./फ्लैट सं.	फ्लोर सं.	स्थान/ भवन का नाम	सड़क/गली	अवस्थान / ग्राम	जिला	राज्य	पिनकोड	अक्षान्तर (विकल्प)	देशान्तर (विकल्प)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अनुसूची (शेयर)

क्र.सं.	कंपनी का नाम	मात्रा	कीमत
1	2	3	4

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 13

(नियम 145(1) देखें)

धारा 79(1)(ग) के अधीन तीसरे व्यक्ति के लिए सूचना

सेवा में,

.....

व्यतिक्रमी की विशिष्टियां .....

जीएसटीआईएन.....

नाम.....

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

वसूली की संदर्भ संख्या:

तारीख :

अवधि :

कर, उपकर, ब्याज और शास्ति की रकम पर <<.....>> रुपए की रकम <जीएसटीआईएन >> धारण करने वाले <<कराधेय व्यक्ति का नाम>> जो ऐसी रकम का संदाय करने में विफल हो गया है, के द्वारा<<एसजीएसटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/सीईएसएस>> अधिनियम के उपबंधों के अधीन संदाय योग्य है; और/या

यह प्रेक्षित है कि आपसे उक्त कराधेय व्यक्ति के लिए.....रुपए की रकम देय है या देय हो सकती है; या

यह प्रेक्षित है कि उक्त व्यक्ति के लिए या उस पर .....रुपए की रकम आपके पास है या आपके पास होने की संभावना है।

आपको अधिनियम की धारा 79 की उपधारा(1) के खंड (ग) (i) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुपालन में देय के होने या हो सकने वाले धन पर या .....सरकार के लिए .....रुपए की रकम का संदाय करने के लिए निदेश दिया जाता है ।

प्ररुप जीएसटी डीआरसी - 14

(नियम 145(2) देखें)

तीसरे व्यक्ति के लिए संदाय का प्रमाण पत्र

प्ररुप जीएसटी डीआरसी-13 में आपको जारी सूचना के प्रतिउत्तर में बोली लगाने वाली निर्देश संख्या.....  
तारीख..... को आपको नीचे दिए गए व्यतिक्रमी के नाम के लिए .....रुपए का संदाय करने के  
लिए आपको दायित्व का निर्वहन करना:

जीएसटीआईएन---

नाम--

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

वसूली की संदर्भ संख्या:

तारीख :

अवधि

यह प्रमाण पत्र आपके दायित्व का प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट रकम के विस्तार के प्रति ऊपर उल्लिखित  
व्यतिक्रमी हेतु पर्याप्त रूप निर्वहन किया जाएगा।

हस्ताक्षर.....

नाम

पद नाम

स्थान:

तारीख:



प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 17

{नियम 147(4) देखें}

धारा 79(1) (घ) के अधीन स्थावर/जंगम सम्पत्ति की नीलामी हेतु सूचना ।

मांग आदेश सं०.  
वसूली की संदर्भ सं०  
अवधि :

तारीख :  
तारीख :

धारा 79 के उपबंधों के अनुसरण में -----रु० और उस पर ब्याज तथा वसूली प्रक्रिया में उपगत ग्राह्य व्यय की वसूली के लिए नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट कुर्क किये गये या करस्थम किये गये मालों की विक्रय हेतु मेरे द्वारा एक आदेश किया गया है ।

विक्रय सार्वजनिक नीलामी द्वारा किया जायेगा और माल को अनुसूची में विनिर्दिष्ट लाट में विक्रय के लिए रखा जायेगा । विक्रय व्यतिक्रमी के अधिकार, अभिनाम और हितों का होगा और उक्त संपत्ति से उपाबद्ध दायित्च और दावें, जहां तक उन्हें अभिनिश्चित किया गया है, वे होंगे जिन्हें प्रत्येक लाट के समक्ष अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है ।

मुलतवी किये जाने के किसी आदेश की अनुपस्थिति में नीलामी----- पूर्वाहन/अपराहन (बजे)----- (तारीख) को होगी । सूचना के जारी होने से पहले जहाँ बकाया सपूर्ण रकम संदत्त कर दी गई है कि दशा में, नीलामी रद्द कर दी जायेगी ।

प्रत्येक लाट की कीमत समूचित अधिकारी/विनिर्दिष्ट अधिकारी के निदेशो के अनुसार विक्रय के समय संदत्त की जायेगी और संदाय के व्यतिक्रम में, माल को दोबारा नीलामी के लिए रखा जाएगा तथा पुनः विक्रय किया जायेगा ।

अनुसूची (जंगम)

क्र.सं.	मालों का वर्णन	परिमाण
1	2	3

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 18

{नियम 155 देखें}

सेवा में

जिला कलक्टर का नाम और पता

.....

मांग आदेश सं०.

तारीख :

वसूली की संदर्भ सं०

तारीख :

अवधि :

धारा 79 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अधीन नीलामी प्रमाण पत्र ।

मैं.....प्रमाणित करता हूँ कि अधिनियम <<एसजीएलटी/यूटीजीएसटी/सीजीएसटी/आईजीएसटी/उपकर>> के अधीन जीएसटीआईएन.....धारित मैसर्स.....से.....रु० की ऐसी राशि की मांग की गई है जो उसके द्वारा संदेय है, लेकिन संदत्त नहीं की गई है और अधिनियम के अधीन उपबंधित रीति से उक्त व्यतिक्रमी से वसूल नहीं की जा सकती है ।

<< मांग विवरण >>

उक्त जीएसटीआईएन धारक आपकी अधिकारिता में संपत्ति का स्वामित्व रखता है/निवास करता है/कारबार करता है, जिसकी विशिष्टयाँ नीचे दी गई हैं-

<<वर्णन >>

आप से निवेदन है कि उक्त व्यतिक्रमी से.....रूपये की राशि को इस प्रकार से वसूल करने जैसे कि यह भूमि राजस्व का कोई बकाया हो के लिए शीघ्र कदम उठायें ।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:



## प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 20

(नियम 158(1) देखें)

आस्थगित संदाय/किश्तों में संदाय के लिए आवेदन

1. कराधेय व्यक्ति का नाम .....
2. जीएसटीआईएन .....
3. अवधि .....

अधिनियम की धारा 80 के अनुसरण में, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे कर/अन्य बकायों के संदाय के लिए.....तक के समय का विस्तार अनुज्ञात करें या मुझे ऐसे कर/अन्य बकायों को नीचे दिये गये कारणों से.....किश्तों में संदाय करने के लिए अनुज्ञात करें--

मांग आईडी				
वर्णन	केन्द्रीय कर	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र कर	एकीकृत कर	उपकर
कर/उपकर				
ब्याज				
शास्ति				
फीस				
अन्य				
योग				

कारण : -

अपलोड किये गये

## सत्यापन

मैं प्रतिज्ञान करता हूँ/घोषणा करता हूँ कि इसमें ऊपर दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास से सत्य और सही है तथा इसमें से कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

प्रधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर .....

नाम .....

स्थान .....

प्ररूप जीएसटी डीआरसी-22

[नियम 159(1) देखें]

संदर्भ सं०:

तारीख:

सेवा में,

----- नाम

पता

(बैंक/ डाक खाना/वित्तीय संस्थान/अचल संपत्ति रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण)

धारा 83 के अधीन संपत्ति की अनंतिम कुर्की

आपको यह सूचित किया जाता है कि मैसर्स ..... (नाम) कारबार का मूल स्थान --  
----- (पता) रजिस्ट्रीकरण संख्या के रूप में ----- (जीएसटीआईएन/आई), पी.ए.एन.-----  
<<एसजीएसटी/सीजीएसटी>> अधिनियम के अधीन एक रजिस्ट्रीकृत कराधेय व्यक्ति है। उक्त व्यक्ति से  
कर या कोई अन्य रकम का अवधारण उक्त अधिनियम की धारा << ---->> के अधीन पूर्वोक्त कराधेय  
व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ की गई हैं। विभाग के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, मेरी  
नोटिस में यह आया है कि उक्त व्यक्ति का -

<<बचत/ चालू / एफ डी/ आर डी / निक्षेप >> खाता आपके << बैंक/डाक खाता/ वित्तीय संस्थान >> में खाता  
संख्या << खाता सं० >>;

या

<< संपत्ति आई डी और अवस्थान >> पर संपत्ति स्थिति है।

राजस्व के हितों का संरक्षण करने के लिए और अधिनियम की धारा 83 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का  
प्रयोग करते हुए, मैं ----- (नाम), ----- (पदनाम), पूर्वोक्त खाता/ संपत्ति की अनंतिम कुर्की  
करता हूँ।

कोई विकलन इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना उसी पेन पर पूर्वोक्त व्यक्ति द्वारा संचालित उक्त  
खाता या कोई अन्य खाता से अनुज्ञात नहीं करने दिया जाएगा।

या

उपरोक्त उल्लिखित संपत्ति इस विभाग की पूर्व अनुज्ञा के बिना निपराज करने को अनुज्ञात नहीं किया  
जाएगा।

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

प्रति :

प्ररूप जीएसटी डीआरसी - 24

[नियम 160 देखें ]

सेवा में,

समापक/प्रापक,

कराधेय व्यक्ति का नाम

जीएसटीआईएन:

मांग आदेश संख्या:

तारीख:

अवधि:

रकम की वसूली के लिए समापक को सूचित करना

यह आपके पत्र <<सूचना संख्या और तारीख>> के संदर्भ में, <<कम्पनी का नाम>> <<जीएसटीआईएन>> रखने वाले के लिए समापक के रूप में आपकी नियुक्ति की सूचना दी जा रही है। इस संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि उक्त कम्पनी राज्य सरकार/ केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित राशि देनदार/संभावनीय देनदार है;

चालू/प्रत्याशित मांग

(रुपयों में राशि)

अधिनियम	कर	ब्याज	शास्ति	अन्य देना	कुल बकाया
1	2	3	4	5	6
केन्द्रीय कर					
राज्य / यूटी कर					
एकीकृत कर					
उपकर					

अधिनियम की धारा 88 के उपबंधों के अनुपालन में आपको यह निदेशित किया जाता है कि कम्पनी के अंतिम परिसमापन से पहले चालू और प्रत्याशित दायित्वों के उन्मोचन के लिए प्रयात्प उपबंध बनाए।

नाम

पदनाम

स्थान:

तारीख:

प्ररूप जीएसटी सीपीडी - 01  
 [नियम 162(1) देखें]  
 शमनीय अपराध के लिए आवेदन

1.	जीएसटीआईएन / अस्थायी आईडी	
2.	आवेदक का नाम	
3.	पता	
4.	अधिनियम के उपबंधों को उल्लंघन जिसके लिए अभियोग संस्थित या अन्ध्यात किया जाता है ।	
5.	न्यायनिर्णय आदेश/नोटिस का ब्यौरा	
	संदर्भ संख्या	
	तारीख	
	कर	
	ब्याज	
	शास्ति	
	जुर्माना, यदि कोई हो	
6.	मामले का संक्षिप्त तथ्य और भारित अपराध (अपराधों की विशिष्टियां)	
7.	क्या यह अधिनियम के अधीन पहला अपराध है	
8.	यदि सं०7 का उत्तर नकारात्मक है तो पिछले मामले का ब्यौरा	
9.	क्या उसी या कोई अन्य अपराध के लिए कोई कार्यवाहियां किसी अन्य विधि के अधीन अन्ध्यात है ।	

प्ररूप जीएसटी सीपीडी-02  
(नियम 162(3) देखें)

संदर्भ सं०:

तारीख:

सेवा में,

जीएसटीआईएन/आईडी-----

नाम-----

पता -----

एआरएन -----

तारीख --

शमनीय अपराध के अस्वीकार/मोक के लिए आदेश

यह उपरोक्त निर्दिष्ट आपके आवेदन के संदर्भ में है। आपका आवेदन का विभाग में परीक्षण कर लिया गया है और निष्कर्ष नीचे अभिलेख किया गया है :-

&lt;&lt;पाठ &gt;&gt;

में, सन्तुष्ट हूँ कि आप स्तंभ (3) में दायित प्रशमन रकम संदाय पर नीचे दी गई तालिका के स्तर 2 में कथित अपराधों के संबंध में शमनीय अपराध को अनुज्ञात करने की अपेक्षाओं को पूरा करते हो।

क्रम सं०	अपराध	प्रशमन रकम (रुपए)
(1)	(2)	(3)

टिप्पण: यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा किया गया उपधारा स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट एक से अधिक प्रवर्ग में आता है तो शमनीय रकम स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट ऐसी रकम होगी जो ऐसे प्रवर्ग के सामने विनिर्दिष्ट अधिकतम रकम है, जिनमें शमन किए जाने के लिए ईप्सीत अपराधों को वर्गीकृत किया जा सकता है।

आपको निर्देशित किया जाता है तारीख ----- द्वारा पूर्वोक्त शमनीय रकम संदाय कर दे और शमनीय रकम के संदाय पर, आप पूर्वोक्त तालिका के स्तंभ (2) में सूचीबद्ध अपराधों के लिए अभियोजन से उन्मुक्त कर दिया जाएगा।

या

9. मुख्य सचिव के विशेष कार्य अधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई.पी. एस्टेट; नई दिल्ली ।
10. गार्ड फ़ाइल ।

अ/१०  
(ए० के० सिंह)

उप सचिव- VI (वित्त)